

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 21 जून, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 के दैवी आपदा कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस अधीक्षक, कृते पुलिस महानिदेशक, पीएसी उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-पीएसी-तीन-802(1)-2012/1574, दिनांक 04.06.2013 जो अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्यूमीनियम मोटर बोट एवं स्टील मोटर बोट हेतु ₹ 4,88,00,000/- तथा मोटर बोट की मरम्मत/राहत एवं बचाव कार्य हेतु ₹ 22,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि ₹ 5,10,00,000/- (₹ 510 करोड़ दस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचत सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।
- आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।
- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : यू0ओ0-26/1-10-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2-अपर पुलिस अधीक्षक, कृते पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पीएससी मुख्यालय, लखनऊ
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

15